

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीतासीन अधिकारी अनिता खटीक आर.पु.एस)

प्रकरण संख्या- 402/2024

दायर दिनांक- 16.10.2024

उपनाम

किशन बनाम तहसीलदार निवाई

प्राथी की ओर से : नरेन्द्र कुमार जाट

अप्राथी की ओर से : पैसेकार सरकार

प्रार्थना बाबत- अर्न्तगत धारा 128 राज. भू. राजस्व अधि - 1956

निर्णय

दिनांक 25.10.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्राथीगण द्वारा प्रापत्र मय शपथ पत्र अर्न्तगत धारा-128 इस आशय का पेश किया गया कि प्राथीगण की कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 401/13, रकबा 1.5176 है०, ख०नं० 426/3 रकबा 1.2141 है०, ख०नं० 427 रकबा 0.7714 है० वाके ग्राम नाहरवाडी पटवार हल्का पहाडी तहसील निवाई में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्राथी उक्त वर्णित आराजीयात का खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है। प्राथीगण उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाना चाहता है, इसलिए प्राथीगण का प्रापत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी की तलबी की गई, अप्राथी की ओर से पैसेकार सरकार उपस्थित।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्राथीगण उक्त वर्णित आराजीयात का रिकार्ड खातेदार काश्तकार है। प्राथीगण की कब्जे काश्त की भूमि की सीमाओं का निर्धारण नहीं होने के कारण आये दिन काश्तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्राथीगण का प्रापत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा -128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन ना हो तो प्राथीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 401/13, रकबा 1.5176 है०, ख०नं० 426/3 रकबा 1.2141 है०, ख०नं० 427 रकबा 0.7714 है० वाके ग्राम नाहरवाडी पटवार हल्का पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक का पटवारी/भू.अ.नि. की टीम गठित कर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे। प्राथीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसुल किया जावे। कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पुलिस उपाधीक्षक वृत्त निवाई को निर्देशित किया जाता है कि पुलिस जाप्ता मांगे जाने पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाया जावे।

यह निर्णय दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अनिता खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
निवाई जिला टोंक